न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी– श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 राजीव गांधी सेवा केन्द्र सांजटा

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. सोनाराम पुत्र शेभूराम जाति जाट निवासीयान आसुओ की ढाणी (सांजटा) तहसील व जिला बाड़मेर		1 देराजराम पुत्र खीयांराम 2 मालाराम पुत्र खीयांराम 3 मालाराम पुत्र ताजाराम 4 धनाराम पुत्र लाधाराम 5 खेमाराम पुत्र लिखमाराम 6 सिरदाराराम पुत्र लिखमाराम 7 कौजाराम पुत्र टीकमाराम जातियान जाट निवासीयान आसुओं की ढाणी (सांजटा) तहसील एवं जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत्

राजस्व आवेदन संख्या–**110**/2021 दिनाक–09.11.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा आसुओं की ढाणी पटवार क्षैत्र सांजटा तहसील एवं जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 294 रकबा 0.03 बीघा, खसरा नंबर 295 रकबा 61.19 बीघा खसरा नंबर 338 रकबा 25.07 बीघा के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुऐ एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर

क्रमांक/रीडर/2021/6238–6241 दिनांक– 09/11/2021

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सांजटा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी सोनाराम पुत्र शेभूराम जाति जाट निवासी आसुओं की ढाणी (सांजटा) तहसील व जिला बाड़मेर
4. विप्रार्थीगण देराजराम पुत्र खीयांराम **वगैराह जाति जाट निवासी** आसुओं की ढाणी (सांजटा) तहसील व जिला बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर